

182

58

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प कोर्ट रीवा म.प्र.



श्री काशी प्रसाद
ए. चारा प्रसाद
19/10/12
श्री

R-4306-11/12

1. जगन्नाथ नामदेव तनय स्व. बंधपति नामदेव ,
2. शिवकुमार नामदेव तनय स्व. बंधपति नामदेव ,
दोनों निवासी ग्राम रहट तक्षील हुजूर जिला रीवा म.प्र.

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. रामगोपाल नामदेव तनय स्व. श्री सूर्यदीन नामदेव निवासी ग्राम रहट तक्षील हुजूर जिला रीवा म.प्र.
2. शासन म.प्र.

....उत्तरवादीगण

निगरानी चिह्न आज्ञा श्रीमान् नाथ तक्षीलदार साहब तक्षील बनकुईया तक्षील हुजूर जिला रीवा म.प्र. के प्रकरण क्र. 1/ अ-13/1997-98 आदेश दिनांक 15.12. 1997,

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 ई.

गायवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से काबिल निरस्तगी के है ।
2. यह कि भूमि आराजी नं. 1644 रकबा 0.045 है. के भूमिस्वामी

शिवशुभा

श्री

693
19.10.12

के
10.12.12

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक.....

R. 4306- जे 112

जिला रीवा

जजानाम्य नाम देय व अथ

विरुद्ध

राम गोपाल नाम देय

2

3

15-1-19

1. आवेदक की ओर से श्री कामता प्रताप गुप्ता अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी ~~तहसीलदार~~ / नायब तहसीलदार तहसील बनकुशवा (547) के प्रकरण क्रमांक 01/अ.13/97-98 में पारित आदेश दिनांक 15.12.97 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 19.3.19 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।


सदस्य